राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/नरेगा/एमआईएस/पार्ट–1/56223/2014 जयपुर, दिनांक : 27 JAN 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर से डाटा एन्ट्री के संबन्ध में।**
संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 12.11.2014**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नरेगा सॉफ्ट में ग्राम पंचायत स्तर से भी डाटा एन्ट्री का प्रावधान उपलब्ध होने के दृष्टिगत संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निम्न से संबन्धित **डाटा एन्ट्री ग्राम पंचायत स्तर से प्रारम्भ कराये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये–**

- जॉबकार्ड हेतु रजिस्ट्रेशन
- जॉबकार्ड जारी करना
- जॉबकार्ड का अपडेशन करना
- आधार सीडिंग, श्रमिक के खाता संख्या
- रोजगार की मांग
- कार्य का आवंटन
- कार्य समाप्ति के उपरान्त मस्टररोल में उपस्थिति
- कार्य की माप
- सामग्री बिल

जिलों में निरीक्षण के समय एवं विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार यह पाया गया है कि उक्तानुसार कार्यवाही **प्रारम्भ किये जाने में रूचि नही** ली जा रही है। अतः इस संबन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि ऐसी **सभी ग्राम पंचायतें जहॉ Internet Connectivity एवं कम्प्यूटर उपलब्ध है, में नरेगा सॉफ्ट पर डाटा एन्ट्री का कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत के लोगिन से ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ लिपिक द्वारा तुरन्त प्रारम्भ** की जावे। इसके लिए आवश्यकतानुसार ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ लिपिक को ब्लाक एवं जिला स्तर पर कार्यरत एम.आई.एस. मैनेजर्स द्वारा **उपयुक्त प्रशिक्षण दिलाया** जाये।

भवदीय
25/1/17
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. आयुक्त, ईजीएस।
4. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
5. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान बाडमेर।
6. कार्यकम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान सह विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एव उप सचिव, ईजीएस